कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत बडीसादडी जिला चितौडगढ (राज.)

क्रमांक- 610 दिनांक- 25.2.21

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला चितौडगढ

विषय- 181 सी.एम. हेल्प लाईन परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी बासँवाडा की जांच के संबध मे।
प्रसंग- सर्पक पोर्टल आई.डी. कमांक 02210679385698 दिनांक 17.02.2021 के सदर्भ मे।
महोदयजी

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि राजस्थान सर्पक पोर्टल पर एक परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी बासँवाडा का दिनांक 01.02.2021 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक " घरो व नदी- नालो में धधक रही है मौत की भटिया " के संदर्भ में प्राप्त हुआ।

वगैरा परिवाद की जांच मन वृताधिकारी के निर्देशन में सर्कल के थानाधिकारियो से प्राप्त की गई तो पाया गया कि सर्कल हाजा में वर्ष 2020 में आबकारी अधिनियम के तहत 41 प्रकरण पजिबद्ध किये गये वही वर्ष 2021 बमाह जनवरी में आबकारी अधिनियम के तहत 9 प्रकरण पंजिबद्व किये गये है साथ ही बमाह जनवरी/फरवरी 2021 में अवैध हथकडी शराब निमार्ण केन्दो पर धरपकड का अभियान संचालित करा भारी मात्रा में अवैध वाश के नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त बीट प्रभारी, बीट कानि. एव थानाधिकारियो को अपने अपने क्षैत्र में मुखबीर मामुर कर एवं गोपनीय आसूचना तंत्र को मजबुत कर इस प्रकार की गतिविधियो पर निगरानी रखने बाबत समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार की अवैध हथकडी शराब निमार्ण/तस्करी की आसूचना पर उक्त अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियो के विरूद्व विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें पेश है।

भवदीय

पुलिस उप अधीक्षक
वृत बडीसादडी जि. चितौडगढ़ (राज.)